वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

Fax.: (05452) 252244, 252344 Web.: www.vbspu.ac.in

पत्रांकः पू.वि.वि. / सम्बद्धता(NOC) / 2013 / 560

प्रेषक.

क्लसचिव.

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय.

जौनपुर। सेवा में

प्रबन्धक.

प्रस्तावित राम सकल स्मारक महाविद्यालय गोरथानी अंतरीलिया,

विषय :- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन महाविद्यालयों / संस्थाओं / संकायों की स्थापना हेतु स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशाठ, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, भूगोल एवं गृहविज्ञान विषयों को अनापत्ति / निर्वाधन (विलयरेंस) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-शून्य, दिनांक-10.10.2012 के सन्दर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2103 / सत्तर-2-2012-2(166) / 2002, दिनांक-09 अगस्त 2012 के क्रम में कुलपित महोदय द्वारा गठित सिमिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तावित राम सकल स्मारक महाविद्यालय गोरथानी अतरौलिया, आजमगढ़। को स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशाठ, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, भूगोल एवं गृहविज्ञान विषयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापित प्रदान कर दी है:--

प्रस्तादित राम सकल स्मारक महाविद्यालय गोरथानी अतरौलिया, आजमगढ सोसाईटी राम सकल स्मारक जन शिक्षण सेवा संस्थान

गोरथानी अतरौतिया, आजमगढ द्वारा संचालित किया जायेगा।

 उक्त पाठ्यक्रम/विषय में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं इस आजय की लिखित अण्डरटेकिंग संस्था के प्रबन्ध तन्त्र को प्रस्तुत करनी होगी।

 उक्त पाठ्यक्रम/विषय में प्रवेश राज्य सरकार की स्वीकृति मिल जाने और उसके पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्म किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्म नहीं की जायेगी।

उक्त पाठ्यक्रम/विषय में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश संख्या—3075/सत्तर—2—2000—2(166) 2002. दिनांक—27 सितम्बर 2002 एवं समय—समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताये एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

5. उक्त संस्था मविष्य में मूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन/संचालित विश्वविद्यालय से मींग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार/सम्बन्धित विश्वविद्यालय की होगी।

उक्त पाठयळम/विषय के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार/सम्बन्धित विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।

 राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व विश्वविद्यालय / संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8. उप जिलाधिकारी लालगंज आजगगढ़ द्वारा जारी उक्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र ग्राम गोरथानी त0 यूढनपुर जिला आजमगढ़ के गाटा संख्या—126 कुल रकबा 1.052 हेक्टेयर 10520 वर्गगीटर भूमि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। अन्यथा की स्थिति में अनापत्ति/निर्वाचन (क्लीयरेंस) स्वतः निरस्त हो जायेगी।

यह अनापत्ति / निर्बाधन (क्लीयरेंस) प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।

अतः उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कुलसा

भवदीय

प्रतिलिपि-निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सविव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के आदेश दिनांक-10.04.2013 के क्रम में सङ्गानार्थ।

निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

5. उप जिलाधिकारी लालगंज आजमगढ़।

प्रो० इन्दिरा विश्नोई, गृहविज्ञान विभाग, प्राचार्या महिला महावि, बी०एच०यू० वाराणसी।

डा० लाल साहब सिंह, पूर्व प्राचार्य, सल्तनत बहादुर पीoजीo कालेज, जीनपुर

कुलसचिव